उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 23 /2025/1256/तीस-4-2025-113/89टीसी
लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 55 के उप नियम (8) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2104/तीस-4-08-113/89, दिनांक 29 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शीर्षक 'राज्य परिवहन प्राधिकरण' के अधीन क्रम संख्या-1 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

''1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश- अध्यक्ष''

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 23/2025/1256(1)/तीस-4-2025-113/89टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 23/2025/1256(2)/तीस-4-2025-113/89टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 10.12.2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 23/2025/1256(3)/तीस-4-2025-113/89टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग /न्याय/वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. संबंधित अधिकारी।
9. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
10. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव

http://sansandesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
Parivahan Anubhag -4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.23/2025/1256/XXX-4-2025-113/89TC, dated 10 December, 2025.

Notification
No. 23/2025/1256/XXX-4-2025-113/89TC
Lucknow: Dated 10 December, 2025

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 55 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897)**,** the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 2104/XXX-4-08-113/89, dated January 29, 2009 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, under the heading **"**State Transport Authority**"** for the existing entry at serial no. 1, the following entry shall be substituted, namely:-

"1- Transport Commissioner, Uttar Pradesh- Chairman"

By Order,

K.P.Singh
Special Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in